(3) Drought Prone Area

राजस्थान, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के विस्तृत क्षेत्र आ गए। इस सूखा का प्रभाव लगभग 20 करोड़ व्यक्तियों पर पड़ा। अकेले कृषि क्षेत्र में 1558 करोड़ रुपये की हानि हुई। राज्य सरकारों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने राहत कार्यों पर 143 करोड़ रुपये खर्च किए।

सन् 1979 ई० में देश के 150 जिलों पर सूखा का प्रभाव पड़ा एवं 230 लाख टन खाद्यान उत्पादन की हानि हुई।

1980-90 के दशक में सुखा की विभीषिका और भी अधिक बढ़ गई। 1984-85 से 1987-88 तक देश को निरंतर सूखा का सामना करना पड़ा। 1985-86 ई० में देश के 7 राज्यों, 1985-86 में 10 राज्यों तथा 1986-87 ई० में 17 राज्यों में सूखा पड़ा। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि 1987 का सूखा 20वीं सदी का सर्वाधिक भयंकर सूखा था। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष भारत के 35 जलवायु खण्डों में से 25 में वर्षा सामान्य से कम हुई। कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत के तत्कालीन 470 जिलों में से केवल 145 जिलों में ही सामान्य वर्षा हुई शेष 325 जिले भंयकर सूखा की चपेट में रहा। गुजरात, आन्ध्र, हरियाणा, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान में सूखा का भयंकर प्रभाव पड़ा। इन राज्यों की अर्थव्यवस्था ही अस्त-व्यस्त हो गई।

अर्थशास्त्रियों के अनुसार - इस सूखा से 20 अरब रुपये से अधिक कृषि उपज की प्रत्यक्ष हानि हुई। इसके अतिरिक्त 55 अरब रुपये राज्य सरकारों तथा 20 अरब रुपये केन्द्र सरकार ने सूखा राहत के लिए खर्च किए।

1998-2001 की अवधि में गुजरात तथा राजस्थान के विस्तृत क्षेत्रों में सूखा पड़ा, फसलें नष्ट हो गई एवं पेय जल की काफी कमी हो गई। हजारों की संख्या में लोग अपने घरों को छोड़कर अन्य स्थानों की ओर चले गए।

2002 — 2009 की अवधि के दौरान भी देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति पैदा हुई लेकिन यह सूखा साधारण था फलतः लोगों में बेचैनी कम रही और इसका कम आर्थिक भार सरकारी खजानों पर पड़ा।

2010-11 में तो स्थिति सामान्य बतलायी गई लेकिन मध्यप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक एवं राजस्थान में आंशिक सूखा का असर अवश्य दिखा।

भारत में सूखा प्रभावित क्षेत्र :

भारत में लगभग 10 लाख वर्ग कि० मी० क्षेत्र जो कुल क्षेत्र का 30% होता है, सूखा से प्रभावित है। इससे देश का लगभग 5.6 करोड़ हेक्टेयर कृषि क्षेत्र प्रभावित होता है। भारत में सूखा के तीन प्रमुख क्षेत्र है — (I) शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र (II) प० घाट पर्वत के पुरव स्थित वृष्टि छाया वाला क्षेत्र और (III) अन्य क्षेत्र। जबकि भारत के

सिंचाई विभाग ने सन् 1972 ई० में देश में दो प्रकार के सूखा क्षेत्रों की पहचान की है ———

(क) सूखा प्रवण व ग्रस्त क्षेत्र और (ख) चिरकालिक सूखा क्षेत्र।

(I) शुष्क और अर्द्धशुष्क क्षेत्र : यह एक आयताकार क्षेत्र है जो अहमदाबाद, कानपुर और जालन्धर को मिलाने वाली रेखा के पश्चिम पड़ता है। लगभग 6 लाख वर्ग किमी. क्षेत्रफल पर फैले इस सूखा क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उ०प्र० एवं म०प्रदेश के पश्चिमी एवं द० प० भाग शामिल है। यहाँ 60 सें० मी० से कम वर्षा होती है। कहीं-कहीं 40 सें० मी० तक ही वार्षिक वर्षा होती है और जैसलमेर, बाड़मेर में तो 9 से०मी० से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ का सूखा भयंकर होता है। थार मरुस्थल में सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ का सूखा भयंकर होता है/ थार मरुस्थल में इन्दिरा गाँधी नहर तथा सरदार सरोवर परियोजना से इस सूखा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है/

(II) पश्चिमी घाट पर्वत के पूरब स्थित वृष्टिछाया क्षेत्र :

इस सूखा क्षेत्र का विस्तार सह्याद्री के पहाड़ियों के पूर्वी भाग में लगभग 300 कि०मी० की चौड़ी पट्टी में महाराष्ट्र के जलगाँव से लेकर आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर तक लगभग 4 (3.7) लाख वर्ग कि०मी० क्षेत्र पर विस्तृत है। अरब सागरीय मॉनसून इस प० घाट के पश्चिम स्थित समुद्रतटीय भाग में काफी वर्षा करती है लेकिन पूरब का भाग वृष्टिछाया में पड़कर सूखा रह जाता है।

(III) अन्य क्षेत्र : इसके अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में लगभग 1 लाख वर्ग कि०मी० क्षेत्र आते हैं जिसमें छः प्रमुख है ———
(क) उड़ीसा का कालाहांडी सूखा क्षेत्र (ख) प० बंगाल का पुरुलिया क्षेत्र (ग) मिर्जापुर पठार (घ) झारखण्ड का पलामू (ङ) तमिलनाडु का कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली और (च) जम्मू काश्मीर का जम्मू और उधमपुर क्षेत्र शामिल है।

सिंचाई विभाग द्वारा चिह्नित दो सूखा क्षेत्र निम्न हैं ———

(क) सूखा प्रवण क्षेत्र — भारत का वैसा भूभाग जहाँ सामान्य से 25% तक वर्षा की अनिश्चितता पायी जाती है वहाँ हमेशा सूखा की आशंका बनी रहती है। इसके अन्तर्गत 4 प्रमुख क्षेत्र आते हैं ——— (I) राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एवं इसके समीपवर्ती उ० प्र० एवं म० प्र० के भाग (II) मध्य महाराष्ट्र, आन्तरिक कर्नाटक, रायलसीमा, द० तेलंगना एवं तमिलनाडु के कुछ भाग (III) उ० बिहार एवं द० पु० उ० प्रदेश तथा (IV) प० बंगाल का पुरुलिया क्षेत्र।

(ख) चिरकालिक सूखाग्रस्त क्षेत्र : यहाँ वर्षा की अनिश्चितता 25% से 50% तक पाई जाती है। इसके अन्तर्गत प० राजस्थान एवं कच्छ के भाग सम्मिलित हैं।

सूखा प्रबन्धन (Management of Drought): ①

भारत देश के औसतन 12% जनसंख्या और 16% कृषि भूमि सूखा से प्रभावित होता है। हर 4-5 वर्षों में एकबार भयानक सूखा पड़ता है। और प्रत्येक वर्ष देश के किसी न किसी भाग में लगभग हर वर्ष सूखा पड़ता है। सूखा के कारण खाद्यान्नों एवं पशु चारे में काफी कमी हो जाती है फलत: लाखों लोग एवं पशु कुपोषण के शिकार हो जाते हैं।

भारत सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना से ही सूखा एवं सूखा प्रभावित क्षेत्र पर ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया है। इस समस्या से निदान हेतु सर्वप्रथम 1970 ई० में सूखा प्रबन्धन नीति अपनाई गई और 1973-74 ई० में सबसे पहलीबार Drought Prone Area Programme (DPAP) शुरू किया गया। इस समय 16 राज्यों के 195 जिलों में स्थित 972 प्रखण्डों को इसके अन्तर्गत रखा गया। 1995-96 से लेकर 2007-08 तक सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 130.20 लाख वर्ग किमी० क्षेत्रफल में 27439 परियोजनाएँ तैयार की गई जिनपर 2837.81 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च हुई।

DPAP (सूखा प्रवण क्षेत्र योजना):—

सूखा प्रवण क्षेत्र योजना कृषि क्षेत्र हेतु एक एकीकृत क्षेत्र विकास योजना है जो देश के पश्चिमी, मध्य एवं दक्षिणी भाग के 90 जिलों के 615 ब्लॉकों के लिए है। DPAP के उद्देश्य निम्नलिखित हैं —

1) कृषीय भूमि, जल तथा पशुधन संसाधन का विवेकपूर्ण एवं वैज्ञानिक उपयोग।
ii) सूखा प्रवण क्षेत्रों के लोगों की आय को बढ़ाना।
iii) पारिस्थितिक संतुलन को पुन: स्थापित करना।

योजना के महत्वपूर्ण तत्व:

1) एकीकृत जल विभाजन प्रबन्धन तथा जल संसाधन प्रबन्धन।
2) मृदा तथा आर्द्रता संरक्षण उपाय।
3) वनरोपण जहाँ सामाजिक एवं कृषि वानिकी पर विशेष बल दिया जाता है।
4) गोचर भूमि तथा वन प्रबंधन का भेड़ पालन के संयोजन के साथ विकास।
5) पशुधन विकास तथा डेयरी विकास
6) लघु सिंचाई परियोजनाओं का विकास

सूखा प्रबन्धन के दो उपाय हैं —
सूखे के कारणों को कम करना अथवा इनपर काबू पाना। और
सूखा पीड़ित लोगों को राहत और पुनर्वास सम्बन्धी सहायता पहुँचाना।

7) फसल प्रतिरूप की पुर्वसंरचना तथा वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में पुनर्संरचना।
8) फसलों के वैज्ञानिक चक्र को अपनाया जाना तथा क्षितिज फसलों पर बल।
9) वैकल्पिक व्यवसायों का विकास।
10) जल एकत्रीकरण
11) भूमिगत नहरों एवं पंक्तिबद्ध नहरों का निर्माण।
12) सिंचाई तथा घरेलू उपयोगों के लिए शुद्ध जल का उपयोग।
13) कृषि में विविधता उत्पन्न करना
14) कुटीर तथा घरेलू उद्योगों एवं लघु उद्योगों का विकास।
15) घरेलू तथा औद्योगिक उपयोग के लिए वैकल्पिक ऊर्जा-स्रोतों का विकास— सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा बायु गैस।

यदि उपरोक्त उपायों को लागू किया गया तो देश के सूखा प्रवण क्षेत्रों के लोगों की दुर्दशा को कम किया जा सकेगा।

सूखा से बचाव हेतु उपाय :

1) सूखा की पूर्व सूचना देकर इसके प्रभाव को काफी कम किया जा सकता है।
2) यदि किसानों को आगामी कम वर्षा के बारे में पूर्व सूचना दी जाय तो वे कम जल की आवश्यकता वाले फसलों का चयन कर लगा सकते हैं।
3) वनों के अन्धाधुंध कटाई को रोककर सूखा से निपटने में बड़ी मदद मिलेगी।
4) जल समर (Watershed) क्षेत्र में सामाजिक वानिकी (Social forestry) तथा कृषि वानिकी (Farm forestry) के अन्तर्गत उपयुक्त पेड़ लगाकर।
5) वर्षा ऋतु के अतिरिक्त जल को जलाशय में बदलकर शुष्क ऋतु उसका उपयोग करने से सूखा के प्रकोप को काफी कम किया जा सकता है।

सूखा के प्रभाव को कम करने के उपाय :

1) लोगों की तात्कालिक सहायता के लिए सुरक्षित पेय जल वितरण, दवाइयाँ, पशुओं के लिए चारा और जल की उपलब्धता तथा लोगों एवं पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना आवश्यक है।
2) भू-जल के भंडारों की खोज के लिए सुदूर-संवेदन उपग्रह (Remote Sensing Imageries) मानचित्रण तथा भौगोलिक सूचना तंत्र (Geographical Information System) जैसे विविध युक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए।
3) वर्षा के जल के संग्रहण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
4) अधिक जल वाले क्षेत्रों से कम जल वाले क्षेत्रों के लिए नदी जल का अंतःद्रोणी स्थानान्तरण काफी हद तक सहायक सिद्ध हो सकती है।

5) जल संग्रहण के लिए छोटे बांधों का निर्माण बहुत उपयोगी होता है।
6) वृक्षारोपण द्वारा सूखा से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है।
7) कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा रोधी फसलों की कृषि करनी चाहिए।

सरकार ने Drought Prone Area Programme (DPAP) तथा Desert Development Programme (DDP) आदि योजनाएँ बनाई हैं जिससे सूखा के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

सूखा क्षेत्र कार्यक्रम की त्रुटियाँ :—

1) लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया दोषपूर्ण है। कई क्षेत्रों में छोटे व सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों को उपयुक्त लाभ नहीं मिलता जबकि ऐसी स्थिति में सर्वाधिक आवश्यकता समाज के इन्हीं वर्गों को होती है।
2) वांछित संख्या में पर्याप्त कार्मिकों के न मिलने से परियोजनाओं को चलाने में विलम्ब हो जाता है।
3) योजना-निर्माण में अनुभव की कमी होती है।
4) प्रायः सूचनाओं के अभाव के कारण परियोजनाओं से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होता।
5) प्रशासनों की द्वैधता (Dualism) से क्षमता में कमी आती है।